अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(पोक्सो अधि.),
न्यायालय सं.01, मेरठ।

UPME010091882026

न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश**(**पॉक्सो**)** न्यायालय सं**01,** मेरठ।

कम्प्यूटर रजिस्टर संख्या–3266/2026

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–2643/2026

मुकदमा अपराध संख्या–437/2026

अन्तर्गत धारा–74, 126(2), 127(2), 352, 115(2), 76, 70(1), 62, 351(3) बी.एन.एस.

थाना–सरधना, जनपद मेरठ।

सूर्यांश सोम पुत्र राहुल सोम .....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य .....विपक्षी।

दिनांक 03.07.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **सूर्यांश सोम पुत्र राहुल सोम**, निवासी ग्राम कुशावली थाना सरधना, जनपद मेरठ की ओर से मु.अ.सं.437/2026 अन्तर्गत धारा– 74, 126(2), 127(2), 352, 115(2), 76, 70(1), 62, 351(3) बी.एन.एस. थाना सरधना, जनपद मेरठ में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त जिला कारागार मेरठ में निरूद्ध चला आ रहा है।

2. उपरोक्त जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान **श्री मुकेश कुमार शर्मा** व वादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता **श्री ब्रिजेश तोमर** एवं अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक **श्री सतीश कुमार बालियान एवं श्री धर्मवीर सिंह तोमर** को सुना एवं पत्रावली मय केस डायरी का अवलोकन किया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा द्वारा थाना सरधना, मेरठ पर एक तहरीर इस आशय से दी गई कि दिनांक 14.06.2026 को वादी की पुत्री/पीड़िता अपने गांव में ही अपनी मौसी के यहां जा रही थी। जब पीड़िता दोपहर समय करीब 1.30 बजे भूपेन्द्र के घर के सामने पुहंची तो वहां खड़े पहले से ही गांव के रहाने वाले अंकुर पुत्र भूपेन्द्र, संदीप पुत्र नरेन्द्र उर्फ अंजु, सूर्यांश पुत्र राहुल ने पीड़िता के रास्ते में रोक लिया और ये तीनो पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने लगे। पीडिता ने इन तीनों को ऐसा करने से मना किया तो इन तीनो ने पीड़िता को पकड़कर जबरदस्ती अंकुर के घर में उठाकर ले गये और पीड़िता को इन तीनो ने कमरे में बंद करके पीड़िता के साथ गाली–गलौज की और मारपीट की और तीनो ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ करते हुये कपड़े फाड़ दिये और पीड़िता को नीचे गिराकर तीनो ने जबरदस्ती बलात्कार किया। पीड़िता के शोर मचाने पर गांव के बहुत से लोग आ गये, जिन्हे आता देख तीनो लोग जान से मारने

की धमकी देते हुये भाग गये। वादी मुकदमा की रिपोर्ट लिखकर उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।

4. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र में तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रश्नगत मामलें में झूठा फंसाया गया है। कथित घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। पीड़िता ने मेडिकल परीक्षण के दौरान अपना मेडिकल परीक्षण कराने से इंकार किया है।

5. पीड़िता के 180 व 183 बी.एन.एस.एस. में घोर विरोधाभास है। उसके द्वारा गवाहान को डराने व धमकाने का कोई अंदेशा नहीं है वह न्यायालय की सन्तुष्टि हेतु उचित धनराशि के जामिनान देने को तैयार है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्र में अंकित कथनों के दृष्टिगत अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की है।

6. विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुये यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त पर सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के पुत्री/पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार करने का प्रयास करने, छेड़छाड़ करने, गाली–गलौज करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त पर सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की पुत्री/पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती बलात्कार करने का प्रयास करने, छेड़छाड़ करने, विरोध करने पर गाली–गलौज करने, मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने का अभियोग है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।

8. केस डायरी में उपलब्ध पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180 व 183 बी.एन.एस.एस. में घोर विरोधाभास है। पत्रावली पर मौजूद चिकित्सीय आख्या के अनुसार पीड़िता ने अपना आन्तरिक व बाह्य मेडिकल परीक्षण कराने से इंकार किया गया है।

9. प्रार्थी/अभियुक्त का अभियोजन की ओर से आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनांक 17.06.2026 से जिला कारागार मेरठ में निरूद्ध हैं। अतः मामलें के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों व उपरोक्त विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुये गुण–दोष पर बिना विचार किये, जमानत प्रार्थना–पत्र में उल्लिखित जमानत के आधार पर्याप्त पाये जाते है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **सूर्यांश सोम पुत्र राहुल सोम**, निवासी ग्राम कुशावली थाना सरधना, जनपद मेरठ की ओर से मु.अ.सं.437/2026 अन्तर्गत धारा– 74, 126(2), 127(2), 352, 115(2), 76, 70(1), 62, 351(3) बी.एन.एस. थाना सरधना, जनपद मेरठ का जमानत प्रार्थना–पत्र इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा अंकन 50,000/– रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी राशि के एक प्रतिभू व निम्न आशय की अंडरटेकिंग संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि के दाखिल एवं निष्पादित करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जायेः–

अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(पोक्सो अधि.),
न्यायालय सं.01, मेरठ।

1. प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

2. प्रार्थी/अभियुक्त मामले के निस्तारण में सहयोग प्रदान करेंगा।

3. प्रार्थी/अभियुक्त स्वयं का निवास स्थान एवं उनके प्रतिभूओं के निवास स्थान में परिवर्तन होने पर इसकी सूचना न्यायालय को देगा।

4. प्रस्तुत प्रकरण के विचारण के दौरान गवाहान को प्रभावित नहीं करेगा।

03.07.2026

(शिवानी सिंह–प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(पोक्सो), न्यायालय सं.01, मेरठ।
J.O. CODE UP1647

This is uncertified copy for information/reference.
For authentic copy Please refer to certified copy only.